राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हो।

आदेश

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम किशोरपुरा की सरहद में स्थित भूमि ख०न० 18 रकबा 2.60 है. का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा. 14 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुये विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26-6-18 को कैम्प कोर्ट किशोरपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

8 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट टोडी में पेश हुई। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 ग्राम टोडी के अनुसार ग्राम टोडी के भूमि ख०न० 298, 490 584, 585 किता - 4 कुल रकबा 2.94 हे० एवं ख०न० 440 रकबा 0.90 हे० में वादी रामकरण पु० गिरधारी का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। वादी राजस्व रिकार्ड में रामकरण पु० गिरधारी के बजाय रामकरण पुत्र माना दुरुस्त करवाना चाहता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सं० 2066 से 2069 ग्राम टोडी एवं सं० 2062-2065, 2058 से 2061, 2054 से 2057 से साबित होता है कि रामकरण के पिता का सही नाम माना ही था। उक्त विवेचन से वादी का वादपत्र साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टोडी की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि ख०न० 298, 490 584, 585 किता 4 एवं ख०न० 440 रकबा 0.90 हे. में दर्ज रामकरण पुत्र गिरधारी के बजाय रामकरण पुत्र माना दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम दुरुस्ती करें। नाम दुरुस्ती के अलावा शेष खाता के इन्द्राजात बदस्तूर रहेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.6.18 को कैम्प कोर्ट टोडी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Scanned by CamScanner